तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सुखराम बनाम परमेश्वरी वगै प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/08/23	पत्रावली आज पेश हुई। अवलोकन किया गया । अप्रार्थीगण 1व 2 की ओर से वकील उपस्थित नहीं पूर्व मे जवाब बन्द किया जा चुका है। राज पैरोकार उपस्थित। बहस सुनी गई वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया की मौजा रोही चक 290.700 आरडी तहसील लूनकरनसर के मु0नं0 231/29 के कि0नं0 16ता22 तादादी 1.7197 हैक्टेयर तथा कि0नं0 21/1, 22/1 मे पूर्व से पश्चिम का कटानी रास्ता है।। चक 294.500 आरडी के मु0नं0 231/21 के कि0नं0 11/1, 20/1, 21/1 मे उत्तर से दक्षिण की तरफ लूनकरनसर व रोझा कांकडवाला के लिए आवागमन मुख्य सडक के लिए रास्ता उपलब्ध है। चक 294.500 आरडी के मु0नं0 231/21 के कि0नं0 21/2 ता 25 तक इस संपर्क सडक पर चढने के लिए अन्य कोई रास्ता व विकल्प नहीं है। चक 294.500 आरडी के मु0नं0 231/21 के कि0न0 21/2,22,23,24,25 मे अप्रार्थीगण जैतां परमेश्वरी के है। जिसमे कटानी रास्ता नहीं है। जब कि मौका पर उक्त रास्ता करीब 50 साल से अधिक समय से चल रहा है। किला नम्बर 25 मे इस मुरब्बा पर गेट अप्रार्थीगण ने आवारा पशुओ से बचने के लिए लगा रखा है। उक्त रास्ता को दिनांक 10. 02.2022 को प्रार्थी के बच्चो को स्कूल जाने मना करते हुए अप्रार्थीया संख्या 2 ने गेट के ताला लगा दिया और कहा कि यह कोई कटान का रास्ता नहीं है। यह कहते हुए रास्ता बंद कर दिया। अतः चक 294.500 आरडी के मु0नं0 231/21 के कि0नं0 21/2 ता 25 तक इस संपर्क सडक पर चढने के लिए दस बिस्वा कटानी रिकार्डेड चालू रास्ता रिकार्ड मे अंकन करा कर रास्ता दिलाने हेतु निवेदन किया गया। उक्त प्रकरण मे तहसीलदार रिपोर्ट शामिल मिसल है मुताबिक रिपोर्ट चक 294–500 आरडी के मु0नं0 231/21 के कि0नं0 21/1,22,23,24,25 मे मौका देखा गया उक्त मुरब्बे मे किला नम्बर 1/1, 10/2, 11/1,20/1, 21/1 मे 02–02 बिस्वा का कटानी दर्ज है। तथा किला नम्बर 21/2 मे कांकडवाला से लूनकरनसर डामर रोड निकलती है। जो कि कट्टानी नहीं है। प्रार्थी सुखराम ने डामररोड से पूर्वी दिशा मु0नं0 231/21 के ही कि0नं0 21/2, 22,23,24/1,24/2, 25 के दक्षिण सीमा मे 0.02–0.02 बिस्वा का कट्टानी मार्ग चाहा गया है मौके पर इन किलो मे पिछले 40 वर्षो से कदमी रास्ता चलता था परन्तु अब तीन–चार वर्षो से बन्द है। जिस कारण चक 290–700 आरडी, 286–400, 282–200 आरडी के इस मार्ग मे आने वाले समस्त काश्तकारगणो का रास्ता रूक गया है। अतः अब तीनो चको के काश्तकारो के अपने खेत मे आने–जाने के लिए कोई कट्टानी रास्ता नहीं है क्योंकि चक 294–500 आरडी व 290–700 आरडी दोनो आपस मे जुड़े है परन्तु 294–500 आरडी के कटानी रास्ते उत्तर से दक्षिण है व चक 290–700 आरडी के कटानी रास्ते पश्चिम से पूर्व है इसी कारणवश रास्तो मे भिन्नता आ गयी है। अतः प्रार्थी को चक 294–500 आरडी के मु0नं0 231/21 के कि0नं0 21/2, 22, 23, 24/1, 24/2,25 की पूर्वी की ओर दक्षिण सीमा पर रास्ता कटान 02–02 बिस्वा किया जना उचित की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। हमने उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप तहसीलदार लूनकरनसर के संलग्न दस्तावेजो का भली–भांती अवलोकन किया । उक्त प्रकरण मे केवल प्रार्थी ही नहीं अपितु चिपते अन्य तीनो चको के काश्तकार भी प्रभावित हो रहे है। उक्त रास्ता स्वीकृत किये जाने से न केवल प्रार्थी काश्तकार अपने खेत मे खेती हेतु जा सकेगा अन्य चिपते चको के काश्तकार भी उक्त रास्ता का उपयोग कर सकेंगे। उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर	

अतः तहसीलदार लूनकरनसर अनुशंषा तथा काश्तकार द्वारा खेत तक काश्त हेतु पहुंच मार्ग को ध्यान मे रखते हुए चक 294—500 आरडी के मु0नं0 231/21 के कि0नं0 21/2, 22, 23, 24/1, 24/2,25 की पूर्वी की ओर दक्षिण सीमा पर रास्ता कटान 02—02 बिस्वा का रास्ता कटान किया जाना नजदीक व उचित प्रतीत होता हैं। अतः उक्त रास्ता चक 294—500 आरडी के मु0नं0 231/21 के कि0नं0 21/2, 22, 23, 24/1, 24/2,25 की पूर्वी की ओर दक्षिण सीमा पर रास्ता कटान 02—02 बिस्वा भूमि का रास्ता कटान गैमु रास्ता नियमानुसार राशि जमा होने पर दर्ज होगा। प्रार्थना—पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर को फैसले की प्रमाणित प्रति भेज निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि पर उक्तानुसार स्वीकृत रास्ता भूमि 02—02 बिस्वा की वर्तमान डीएलसी दर के दुगने भुगतान अप्रार्थी खातेदार को होने पर नियमानुसार कटान रास्ता का रिकॉर्ड में अंकन कर मौके पर रास्ता की निशानदेही करावें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्तर हो ।

यह आदेश आज दिनांक 07.08.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर